संख्या– 2806 /XV-2/1(01)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पशुपालन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 01 नवम्बर अक्टूबर, 2010

विषय– वित्तीय वर्ष 2010–11 में डेरी विभाग को आयोजनेत्तर में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1781–83/लेखा–प्रस्ताव आयोजनेत्तर/2010–11, दिनांक 13–10–2010 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–936/XV-2/1(01)/06, दिनांक 09 अप्रैल, 2010 तथा प्रमुख सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या–542/XXVII(1)/2010, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में आयोजनेत्तर मदों में डेरी विकास विभाग को निम्नलिखित मदों में कुल ₹ 13022 (₹ एक करोड़ तीस लाख बाइस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि ₹ हजार में)

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
01–वेतन	11390
03–महंगाई भत्ता	1090
06–अन्य भत्ते	445
09–विद्युत देय	15
13–टेलीफोन पर व्यय	50
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	32
योग–	13022

1. निदेशक, डेरी विभाग द्वारा सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर से फॉट कर सम्बन्धितों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. निदेशक, डेरी द्वारा बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की अगली 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
5. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
6. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
7. व्यय करते समय मितव्ययिता के संबध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतनादि मदों में अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रथम अनुपूरक मॉग के माध्यम से अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–193(NP)/वित्त–4/2010, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव ।

संख्या– 2806/XV-2/1(01)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मंत्री, दुग्ध विकास को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु ।
4. स्टाफ ऑफिसर–अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त को अवगत काने हेतु ।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एस0के0पंत)
अनु सचिव ।